<u>:: नेशनल लोक अदालत समझौतानामा ::</u>

<u>नेशनल लोक अदालत खंडपीठ क्रं. 12/न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चाम्पा, (छ0ग0)</u>

<u>(पीठासीन अधिकारी–श्रीमती गंगा पटेल)</u>

**<u>डाकेट</u>**

<u>दिनांक–12.11.2022</u>

<u>शासन वि0 संतनदास महंत</u>

<u>दां0प्र0क्रं0–732/2022</u>

छ0ग0राज्य द्वारा :– आरक्षी केन्द्र – चांपा

| | |
|---|---|
| प्रार्थीया | श्रीमति त्रिवेणी महंत पति संतनदास महंत उम्र 30 वर्ष साकिन वार्ड नं 23 शिवनगर चांपा थाना चांपा जिला जांजगीर चांपा छ0ग0 |
| | **विरूद्ध** |
| अभियुक्त/अभियुक्तगण | संतनदास महंत पिता शीतल दास महंत उम्र 37 वर्ष साकिन वार्ड नं 23 शिवनगर चांपा थाना चांपा जिला जांजगीर चांपा छ0ग0 |

---

**(01)** **प्रकरण का संक्षिप्त विवरण** :– अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 20.08.2022 को प्रार्थीया के घर के सामने शिवनगर चांपा में पैसे की बात को लेकर आरोपी ने गंदी गंदी अश्लील गाली गलौच, जान से मारने की धमकी देकर हाथ से मारपीट किया। प्रार्थीया के लिखित शिकायत पर अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम सूचना पत्र क्रं0–365/2022 धारा 294, 506, 323 भा0दं0सं0 का दर्ज कर संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र क्रं0–253/2022 न्यायालय में पेश किया गया।

## <u>::–अधिनिर्णय/आदेश–::</u>

**<u>(आज दिनांक 12.11.2022 को नेशनल लोक अदालत में पारित )</u>**

**(02)** उभयपक्ष के द्वारा दिनांक 18.08.2022 को राजीनामा आवेदन पत्र इस आशय का पेश किया गया कि उभयपक्ष का बिना किसी डर, दबाव एवं प्रलोभन के राजीनामा हो गयी है। उक्त संबंध में **उभयपक्ष से आवेदन के संबंध में पूछे जाने पर** राजीनामा के आधार पर प्रकरण समाप्त किये जाने का निवेदन किया गया। प्रकरण में आरोपी के विरूद्ध आरोपित अपराध शमनीय प्रकृति का है एवं उभयपक्ष के द्वारा बिना किसी डर, दबाव एवं प्रलोभन के राजीनामा होने के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है एवं उभयपक्ष के द्वारा बताया गया है कि उनके मध्य बिना किसी

डर, दबाव के राजीनामा हो गयी है। अतः उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत राजीनामा आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा आरोपी को आरोपित अपराध **धारा 294, 506, 323 भा0दं0सं0** के आरोप से **<u>दोषमुक्त</u>** किया जाता है।

**(03)** प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति निरंक है।

**(04)** प्रकरण में आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत–मुचलका भारमुक्त किया जाता है।

**(05)** इस आदेश की एक प्रति उभयपक्ष को निशुल्क दिया जावे। अधिनिर्णय की प्रति अविलम्ब सी.आई.एस. में अपलोड किया जावे।

सही / –

**श्रीमती गंगा पटेल)**
पीठासीन अधिकारी
नेशनल लोक अदालत
खंडपीठ क्रं0–12 चाम्पा,
जिला–जांजगीर–चाम्पा, छ0ग0

(श्री ओ.पी.देवांगन अधिवक्ता)
सदस्य